भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2028

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन

2028. डॉ. लता वानखेड़ेः
श्री अतुल गर्गः
श्री राजेश वर्माः
श्रीमती शांभवीः
डॉ. डी. पुरंदेश्वरीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के क्रियान्वयन सहित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देश के कितने बड़े बांधों का सुरक्षा संबंधी निरीक्षण किया गया है;

(ग) क्या सभी राज्यों ने बांधों के लिए आपात कार्ययोजना तथा संचालन एवं अनुरक्षण पुस्तिकाएँ तैयार कर लागू की हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) "संकटग्रस्त" या तात्कालिक मरम्मत की आवश्यकता वाली श्रेणी में चिन्हित बांधों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है; और

(ङ) चिन्हित बांधों के पुनरुद्धार हेतु बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना के चरण II एवं III के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित एवं जारी की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): देश भर में बांध सुरक्षा के मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में बांध सुरक्षा अधिनियम लागू किया। उक्त अधिनियम को भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.12.2021 को अधिसूचित किया गया और यह 30 दिसंबर, 2021 से लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य बांध विफलता से संबंधित आपदाओं को रोकना और उनके सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करना है।

बांध सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की स्थापना की। प्राधिकरण को देश भर में बांध सुरक्षा गतिविधियों की देखरेख और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) द्वारा तैयार की गई नीतियों, दिशानिर्देशों और मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका गठन भी फरवरी 2022 में किया गया था।

अधिनियम में राज्य स्तर पर, राज्य बांध सुरक्षा समितियों (एससीडीएस) के गठन और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओ) की स्थापना अधिदेशित किया गया है। ये निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, सभी 31 बांध-स्वामित्व वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने संबंधित एससीडीएस का गठन किया है और एसडीएसओ की स्थापना की है।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने भी बांध सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत, राजपत्र के माध्यम से 19 नियमों को अधिसूचित किया है।

एनडीएसए ने अप्रैल 2025 में निर्दिष्ट बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर भी प्रकाशित किया है, जो देश भर में बांध संबंधी आंकड़ों का एक व्यापक सारांश प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें देश भर में की गई बांध सुरक्षा गतिविधियों का सारांश दिया गया है, तैयार की गई है और इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई है।

(ख): बांध सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक निर्दिष्ट बांध के मालिक को अपनी निर्दिष्ट बांध सुरक्षा इकाई के माध्यम से, ऐसे प्रत्येक बांध का प्रतिवर्ष मानसून पूर्व और मानसून पश्चात् निरीक्षण कराना आवश्यक है। इस वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन में, पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न बांध मालिकों द्वारा किए गए मानसून पूर्व और मानसून पश्चात् निरीक्षणों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**बांधों के मानसून पूर्व निरीक्षणों की संख्या**	**बांधों के मानसून पश्चात् निरीक्षणों की संख्या**
2024	6366	6456
2025	6524	6543 (8 दिसम्बर 2025 तक)

(ग): एनडीएसए द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, बांध मालिकों ने 349 निर्दिष्ट बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजनाएँ (ईएपी) तैयार की हैं। इसके अतिरिक्त, 304 बांधों के लिए संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) नियमावली तैयार की गई है। ईएपी और ओ एंड एम नियमावली का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ): बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए मानसून पूर्व और मानसून पश्चात् निरीक्षणों के आधार पर, बांध मालिक प्रत्येक बांध की स्थिति का आकलन करते हैं और उसे तीन अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, जो कि निम्नानुसार है:

श्रेणी-I: बांधों में कमियाँ, जिनपर ध्यान न देने पर वे विफल हो सकती हैं

श्रेणी-II: प्रमुख कमियाँ जिनके लिए तत्काल उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है

श्रेणी-III: कोई कमी नहीं है या मामूली कमियाँ जो सुधार योग्य हैं

जब भी किसी निर्दिष्ट बांध को श्रेणी I या श्रेणी II के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है तो बांध मालिकों के लिए आवश्यक पुनर्वास उपाय तुरंत करना अनिवार्य हो जाता है।

एनडीएसए द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2025 की मानसून पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट यह इंगित करती है कि दो निर्दिष्ट बांधों को श्रेणी I के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये तेलंगाना में मेदिगड्डा बैराज और उत्तर प्रदेश में निचला खजूरी बांध हैं। इसके अतिरिक्त, 216 बांधों को श्रेणी II के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणी II बांधों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

(ङ): केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार, बाह्य रूप से वित्तपोषित बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (ड्रिप) के द्वितीय और तृतीय चरण की कुल लागत 10,211 करोड़ रुपए है। इस योजना में 19 राज्यों और 2 केंद्रीय एजेंसियों में स्थित 736 चिन्हित बांधों के पुनर्वास का प्रावधान है। यह योजना 10 वर्षों (वर्ष 2021-2031) की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। द्वितीय चरण का परिव्यय 5107 करोड़ रुपए है, जबकि तृतीय चरण का परिव्यय 5104 करोड़ रुपए है।

यह योजना सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 70:30 (बाह्य: समकक्ष), विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80:20 और केंद्रीय एजेंसियों के लिए 50:50 के वित्त पोषण पैटर्न का अनुसरण करती है। 'बाह्य' घटक का तात्पर्य- विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) द्वारा प्रदान की गई ऋण सहायता से है। ऋण वितरण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के अनुरूप त्रैमासिक आधार पर जारी किए जाते हैं।

15 नवंबर 2025 तक कार्यान्वयन एजेंसी-वार निधि आवंटन और व्यय का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 2028 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्दिष्ट बांधों की संख्या जिनके लिए ईएपी तैयार किया गया	निर्दिष्ट बांधों की संख्या जिनके लिए ओ एंड एम मैनुअल तैयार किया गया
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1	3
3	असम	3	0
4	बिहार	21	23
5	छत्तीसगढ़	2	1
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	28	3
8	हरियाणा	0	1
9	हिमाचल प्रदेश	18	9
10	जम्मू कश्मीर	3	1
11	झारखंड	4	4
12	कर्नाटक	19	24
13	केरल	48	44
14	लद्दाख	0	0
15	मध्य प्रदेश	15	25
16	महाराष्ट्र	52	16
17	मणिपुर	0	0
18	मेघालय	0	1
19	मिज़ोरम	1	1
20	ओडिशा	24	28
21	पंजाब	1	7
22	राजस्थान	5	14
23	सिक्किम	1	1
24	तमिलनाडु	80	81
25	तेलंगाना	0	2
26	त्रिपुरा	1	0
27	उत्तर प्रदेश	2	0
28	उत्तराखंड	11	10
29	पश्चिम बंगाल	4	2
30	नागालैंड	1	1
31	अरुणाचल प्रदेश	4	2
	कुल	**349**	**304**

अनुलग्नक-II

"राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 2028 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं	राज्य	वर्ष 2025 की मॉनसून पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर श्रेणी-II के तहत बांधों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	1
2	आंध्र प्रदेश	7
3	बिहार	1
4	छत्तीसगढ़	24
5	गुजरात	6
6	हरियाणा	2
7	झारखंड	10
8	कर्नाटक	3
9	केरल	9
10	महाराष्ट्र	50
11	मेघालय	6
12	मणिपुर	3
13	मध्य प्रदेश	24
14	नागालैंड	1
15	ओडिशा	4
16	पंजाब	4
17	राजस्थान	1
18	सिक्किम	1
19	तेलंगाना	18
20	तमिलनाडु	19
21	उत्तराखंड	5
22	उत्तर प्रदेश	12
23	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	**216**

अनुलग्नक-III

"राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 2028 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं	राज्य/एजेंसी	दिनांक 15.11.2025 तक ड्रिप चरण II के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच आवंटन	दिनांक 15.11.2025 तक हुआ व्यय (करोड़ रुपए में)
1	भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी)	70	0
2	छत्तीसगढ़ डब्ल्यूआरडी	170	51.91
3	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डवीसी)	44	1.17
4	गोवा डब्ल्यूआरडी	58	0
5	गुजरात डब्ल्यूआरडी	350	229.39
6	झारखंड डब्ल्यूआरडी	0	0
7	कर्नाटक डब्ल्यूआरडी	699	268.71
8	केरल एसईबीएल	90	57.84
	केरल डब्ल्यूआरडी	130	45.15
9	महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी	379	65.87
10	मणिपुर डब्ल्यूआरडी	98	59.71
11	मेघालय पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईपीजीसीएल)	150	71.9
12	मध्य प्रदेश डब्ल्यूआरडी	186	30.18
13	ओडिशा डब्ल्यूआरडी	100	36.55
14	पंजाब डब्ल्यूआरडी	71	0.36
15	राजस्थान डब्ल्यूआरडी	503	163.86
16	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (टीएनजीईसीएल)	260	148.32
	तमिलनाडु डब्ल्यूआरडी	510	277.35
17	तेलंगाना डब्ल्यूआरडी	100	0
18	उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल)	300	206.55
19	यूपी आई एंड डब्ल्यू आर डी	354	21.05
20	पश्चिम बंगाल आई एंड डब्ल्यूडी	200	54.33
21	सीडब्ल्यूसी	285	141.02
	कुल	**5107**	**1931.22**

*****